

## **\*प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 15-10-2020\***

\*अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के निर्देशन एवं श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 14-10-2020 को पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही।\*

\*दिनांक 14-10-2020 को जनपद सिद्धार्थनगर के सभी थाना क्षेत्रों में वाहन /अवैध शराब/ संदिग्ध व्यक्तियों की सघन चेकिंग का अभियान चलाया गया। जिसके अन्तर्गत जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्ष द्वारा एम0वी0 एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये 73 वाहनों से 63,300/ रु0 समन शुल्क वसूल किया गया।\*

- 01- थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त जितेन्द्र पुत्र भूलन लोधी निवासी-केवटलिश थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर के पास से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 200/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।
- 02- थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त जब्बार पुत्र स्व0 काशीराम निवासी परसोना थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर के पास से 12 शीशी देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 115/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।
- 03- थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त मुकेश पुत्र रामजतन निवासी रसियावल कला थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर के पास से 18 शीशी देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 116/2020 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।
- 04- थाना गोलहौरा जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त तुलसीराम पुत्र जिल्ला निवासी सेसूई थाना गोलहौरा जनपद सिद्धार्थनगर के पास से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 157/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।
- 05- थाना गोलहौरा जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त रामबचन पुत्र चिरकूट निवासी सेसूई थाना गोलहौरा जनपद सिद्धार्थनगर के पास से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 158/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।
- 06- थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त संतोष कुमार पुत्र चिन्नी लाल निवासी विशुनपुर थाना जोगिया जनपद सिद्धार्थनगर के पास से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 145/2020 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।
- 07- थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त तौलन यादव पुत्र खदेरू निवासी पटखौली थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर के पास से 13 शीशी देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 324/2020 धारा 60(1)क आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।
- 08- थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त संदीप चौधरी पुत्र रामकेवल निवासी मुड़िला थाना सोनहा जनपद बस्ती के पास से 15 शीशी देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 139/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।
- 09- थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त ईश्वरदीन पुत्र निबर निवासी रोहाव बुजुर्ग थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर के पास से 12 शीशी देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 208/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।
- 10- थाना जोगिया जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त जोखू उर्फ लडडू पुत्र स्व0 राम प्रसाद निवासी नादेपार थाना जोगिया जनपद सिद्धार्थनगर के पास से 05 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 134/2020 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।
- 11- थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त बहरइची पुत्र पंजाबी निवासी सोननगर थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर के पास से 05 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 199/2020 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

- 12- थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त जीत बहादुर पुत्र रामसमूक्ष निवासी बर्डपुर नं0 9 थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर के पास से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 220/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी ।
- 13- थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त गौतम पुत्र श्याम करन निवासी खेहरी बुजुर्ग थाना पथरा जनपद सिद्धार्थनगर के पास से 16 शीशी देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 102/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी ।
- 14- थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त हरि कुमार पुत्र कौशल कुमार निवासी बनचौरी थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर के पास से 50 शीशी देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 263/2020 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी ।
- 15- थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 219/2020 धारा 354,354क,354ख,354ग,354घ, 504,506 भादवि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभि0 भुट्टू उर्फ अब्दुल्ला पुत्र अताउल्लाह, निवासी-सिकरी बखरिया थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।
- 16- थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 209/2020 धारा 294 भादवि0 से सम्बन्धित वांछित अभि0 अनवर अली पुत्र मनौवर अली निवासी बेदौला थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।
- 17- थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 166/2020 धारा 306,498ए भादवि0 व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभि0 ओम प्रकाश चौहान पुत्र गंगाराम उर्फ पहलवान निवासी-औरहवां टोला बडुईयां थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।

**\*प्रेस नोट दिनांक 15-10-2020\***

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के द्वारा "अपराध के रोकथाम व अपराधियों" के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण व श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 15.10.2020 को श्री राधेश्याम राय, प्रभारी निरीक्षक मोहाना के कुशल नेतृत्व में चौकी ककरहवा व एसएसबी टीम द्वारा निरंजनपुर बार्डर से 11 कुंटल विदेशी मटर तथा फसादीपुर बार्डर से 17 कुंटल मटर पकड़ा गया। 11 कस्टम एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की गई।

**\*प्रेस नोट दिनांक 15-10-2020\***

आज दिनांक 15-10-2020 को अपर जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर श्री सीताराम गुप्ता व अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री मायाराम वर्मा की अध्यक्षता में थाना डुमरियागंज पर आगामी त्यौहार दशहरा व दीपावली छठ पूजा आदि को दृष्टिगत रखते हुए गणमान्य एवं सम्भ्रांत व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से बैठक में उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधिगण एवं सम्भ्रांत व्यक्तियों से त्यौहार को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु अपील कर जागरुक किया गया। त्यौहार में किसी तरह की भीड़ एकत्रित ना करें तथा प्रत्येक दशा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु बताया गया। उक्त शान्ति-समिति की बैठक में में जनपद के उच्चाधिकारी / कर्मचारी व जनपद के सम्भ्रान्त व्यक्ति मौजूद रहे।

